INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02042246099602V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02042246099602V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 04:58 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14137204/ FATEHPUR/ UP-FTP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14137204996611847395 73V
Purchased by	:	SHUBHAM GROMODDYOG SANSTHAN BARRA 2 KANPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHUBHAM GROMODDYOG SANSTHAN BARRA 2 KANPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHUBHAM GROMODDYOG SANSTHAN BARRA 2 KANPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARY RAMESH CHANDRA GUPTA U.P.

Please write or type below this line

NOTARY RAMESH CHANDRA GUPTA U.P.

प्रारूप–अ

हम ममता पाण्डेय (अध्यक्ष) एवं मोहित पाण्डेय (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव शुभम ग्रामोद्योग संस्थान एम0आई0जी0–4 सेक्टर–3 बर्रा कानपुर नगर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है:–

2/.....

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

01– यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के द्वारा पं0 खेरे प्रसाद विपिन बिहारी कालेज ऑफ फार्मेसी कौंह फतेहपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

02– यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम कौंह फतेहपुर में गाटा संख्या– 620 च, 620ख, 620ग एवं 620 घ रकबा क्रमशः 0.3210,0.1750, 0.1750 एवं 0.1450 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8160 हेक्टेयर) भूमि है।

03– यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

04– यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या– 620 च, 620ख, 620ग एवं 620 घ रकबा क्रमशः 0.3210,0.1750, 0.1750 एवं 0.1450 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8160 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांकः– 04.01.2022 द्वारा पारित किया गया है।

05– यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

06– यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

07– यह कि इस भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव मंत्री/सचिव
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

अध्यक्ष
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

NOTARY
GOVT.

...affirmed before me by Sri ...
...by Sri ...
...Sri ...
...today between ...
...stated by ... the ...
...
...which has read over and ...

...dentified by ...
who has signed before me and
personally known to me

30/9/23